नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

# न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– **अशोक कुमार असीजा** आर.ए.एस.

अपील सं. 42/2018

अनवानः–

अमीचंद उर्फ लालचंद पुत्र बीरबल राम जाति जाट सा. भाखरांवाली तह0 संगरिया।

2 रामलाल पुत्र बीरबल राम जाति जाट सा. भाखरांवाली तह0 संगरिया।

अपीलांट

**बनाम**

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
2 सुलतान राम पुत्र मोमन राम जाति मेघवाल सा. भाखरांवाली तह0संगरिया।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध इन्तकाल दिनांक 23.8.18 बअदालत तहसीलदार संगरिया।

उपस्थितः– 1 श्री राम कुमार कस्वां अभिभाषक अपीलांट ।
2 श्री राम कुमार सहारण अभिभाषक रेस्पो सं0 2 ।
3 " छोटेलाल सहारण ए.ए.

**–:निर्णयः–**

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

दिनांकः –23.8.18

सत्यमेव जयते

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट की चक 3 एसटीपी में 3.670 है0 खातेदारी भूमि है। रेस्पो0 2 ने उपखण्डाधिकारी संगरिया में दिनांक 14.8.18 को प्रा0पत्र पेश किया कि चक 3 एसटीपी के प0नं0 176/119 कि0नं0 6,15,16,25 में सरकारी खाला है । उक्त खाला के साथ साथ प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है। उक्त खाला के उपर अपीलांटस ने अन्य-व्यक्तियों से मिलकर दिवार निर्माण करके गेट लगा दिये हैं जिससे प्रार्थी अपने खेत में नहीं आ जा सकता। इसलिए खाले पर बनाई गयी दिवार गेट व पुली को हटाया जावे। उपखण्डाधिकारी ने मूल प्रा0पत्र विचारण न्यायालय तहसीलदार संगरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि प0नं0 176/119 कि0नं0 16 व 25 में दो दो बिस्वा मौका पर खाला बना होना व खाला चालू होना बताया । पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.8.18 के द्वारा गिरदावर, पटवारी हल्का व सहायक अभियन्ता सिंचाई को भेजकर चक 3 एसटीपी के प0नं0 176/119 कि0नं0 15,16,18,25 पर दिवार व गेट हटाने का आदेश पारित किया जो निम्न आधारों पर काबिल खारिजी के है:–

क– यह कि अपीलाधीन आदेश बिना कोई जांच किये, बिना प्रभावित पक्षकारों को सुने मनमान रूप से विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है।

ख– यह कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की कृषि भूमि में बने रिहायशी मकान (ढाणी) के चारों तरफ निर्मित दिवार किला नं0 16,18,25 को तोड़ने के आदेश जारी किये हैं जबकि उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया है केवल मात्र रेस्पो0 सं.0 2 के आवेदन पत्र व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है उक्त आदेश विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज योग्य है।

ग–यह कि विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया अपीलांट ने स्वीकृत शुद्धा खाले पर किसी प्रकार से दिवार का निर्माण नहीं किया है

Web Copy- Not Official

अपीलांट की कृषि भूमि में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है।रेस्पो0 सं0 1 सुलतान ने विचारण न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी के है।

घ– यह कि अपीलांट के विरूद्ध रेस्पो0 1 सुलतान राम व उसके भाई ने न्यायालय सहायक कलक्टर में प्रा0पत्र अनवानी सुलतानराम बनाम अमीचंद सं0 230/90 बाबत रास्ता स्वीकृति प्रस्तुत कर अपीलांट की कृषि भूमि प0नं0 176/119 कि0नं0 16,25 में रास्ता स्वीकृति हेतु पेश किया जिसमें न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया ने दिनांक 27.11.91 को निर्णय पारित कर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पो. सुलतान राम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनमानगढ में अपील सं. 498/94 प्रस्तुत की जो निर्णयदिनांक 26.7.2000 से आंशिक रूप से स्वीकार करके पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी। रिमाण्ड होने पर उपखण्डाधिकारी संगरिया ने अपने निर्णय दिनांक 23.5.04 द्वारा प्रकरण में धारा 10/11 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र पर उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित द्वितीय अपील 4015/2013 अनवानी मंगलू बनाम बृजलाल में वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश होने के कारण रास्ते का प्रकरण में उक्त अपील के निर्णयतक कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। उक्त निर्णयों से साबित है कि अपीलांट की भूमि में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है रेस्पो0 1 बिना किसी आधार के अपीलांट की भूमि में रास्ता चालू करवाने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही कर रहा है। उपखण्डाधिकारी संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांका 23.5.04 के विरूद्ध रेस्पो0 1 ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं0 3795/2014 अनवानी मंगलू राम बनाम अमीचंद पेश की गयी जो निर्णयदिनांक 26.6.15 द्वारा खारिज कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त निर्णयों के संबंध में कोई जांच नहीं की व बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी है।

ङ– यह कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील अनानी मंगलू बनाम बृजलाल आदि अपील सं0 4915/13 में वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका व रिकार्ड का स्थगन आदेश जारी है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अपीलाधीन काबिल खारिजी के है।

च– यह कि रेस्पो0 1 सुलतान राम द्वारा पूर्व में भी विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.5.16 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की भूमि चक 3 एसटीपी प0नं0 176/119 कि0नं0 16 व 25 में दिवार व पुलिया तुड़वाने हेतु आवेदन किया था जिस पर नायब तहसीलदार संगरिया द्वारा जांच की जांकर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि शिकायतकर्ता स्वयं ने कि0नं0 6 व 15 में नाजायज काश्त करके खाले की भूमि में फसल नरमा काश्त कर रखी है। अपीलांट की ढाणी व दिवार सन् 1991 की बनी हुई है जिससे खाला में पानी आने जाने में कोई रूकावट पैदा नहीं होती है। शिकायतकर्ता दिवार हटाकर खाले की भूमि पर जबरदस्ती रास्ता चालू करना चाहते है। नायब तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय ने कोई जांच नहीं की मनमाने रूप से अपीलाधीन ादेश पारित कर दिया जो काबिल खारिजी के है।

छ– यह कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट का खाला की भूमि पर अतिक्रमण मानकर भूमि से अतिक्रमण हटा कर बेदखल करने का आदेश धारा 91 एल आर एक्ट के तहत पारित किया है परंतु धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कोई भी आदेश करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त खाला की भूमि आराजीराज नहीं मानी जा सकती बल्कि काश्तकारी के खाते में दर्ज होती है इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है।

ज– यह कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि में बनी ढाणी की दिवार व गेट हटाने हेतु रेस्पो0 2 सुलतान ने विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट ने बिना पक्षकार बनाये व बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो0 2 की तलबी की गयी। रेस्पो0 सं0 2 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया । अपीलांट ने स्वीकृत खाले पर किसी प्रकार से दिवार का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु अपनी कृषि भूमि व ढाणी की सुरक्षा हेतु तारबंदी ,दिवार व गेट लगा रखे हैं। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

रेस्पो0 सं0 2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा खाले पर अतिक्रमण कर दिवार बनाने व लोहे के गेट लगाने से रेस्पो0 सं0 2 को अपने खेत में सिचाई करने में असुविधा होती है । इस अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पटवारी हल्का नालारामपुरा की रिपोर्ट दिनांक 21.8.18 पर ही तहसीलदार द्वारा आईएलआर हल्का को खाले की जगह में किये गये व्यवधान( गेट इत्यादि ) को तुरन्त हटवाएं साथ ही सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग संगरिया को पत्रांक 931 दिनांक 23.8.18 को उक्त अतिक्रमण में आज ही सहयोग करने हेतु जारी किया गया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ( तहसीलदार संगरिया ) को आदेश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण दोनो पक्षों की उपस्थिति में किया जाकर उभय पक्षों का पक्ष प्राप्त कर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.9.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अशोक असीजा )
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official